पंजाब केसरी 02/07/2024

'भारत के नए आपराधिक कानून और उनका क्रियान्वयन' विषय पर हुआ व्याख्यान

गांधी मैमोरियल नैशनल कालेज में 'भारत के नए आपराधिक कानून और उनका क्रियान्वयन' विषय पर व्याख्यान करते वक्ता। (देवदत्त)

अम्बाला, 1 जुलाई (बलराम): छावनी स्थित गांधी मैमोरियल नैशनल कालेज में नए कानूनों के महत्व और प्रभाव को उजागर करने के लिए सोमवार को 'भारत के नए आपराधिक कानून और उनका क्रियान्वयन' विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन किया। यह कार्यक्रम कालेज के कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डा. सुरेंद्र कुमार द्वारा कालेज के सैमीनार हॉल में आयोजित किया गया।

इस अवसर पर कार्यवाहक प्रिंसीपल डा. सीमा कंसल ने विद्यार्थियों को बताया कि यह नए आपराधिक कानून अर्थात् भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आज यानी 1 जुलाई 2024 को लागू होंगे। ये कानून क्रमश: भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगे।

व्याख्यान के प्रवक्ता डा. कृष्ण पूनिया ने नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी और उनकी व्यवहारिकता पर अपने विचार सांझा किए। व्याख्यान सत्र में कुछ अपराधों को अपराधमुक्त करने, पीड़ित मुआवजे में संशोधन, जांच प्रक्रियाओं में बदलाव और जमानत प्रावधानों में संशोधन सहित प्रमुख संशोधनों पर गहन चर्चा की गई।

जिन विषयों पर गहन चर्चा की गई, उनमें भीड़ द्वारा हत्या, संगठित अपराध, झूठी सूचना का आरोपण, महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध, सजा के रूप में सामुदायिक सेवा, जुर्माना और कारावास की नई शर्तें शामिल हैं।

इसके अलावा सत्र में इलैक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता, सोशल मीडिया और साइबर अपराध के उपयोग में बदलावों पर विस्तार से चर्चा की गई।

इसके बाद कार्यक्रम का समापन प्रश्नोत्तर सत्र के साथ हुआ। इस कार्यक्रम में लगभग सभी शिक्षित, गैर शिक्षित सदस्यों तथा 50 से अधिक छात्रों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। वहीं डा. तृप्ति शर्मा, कालेज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा ए.आई.एस.एच.ई. की समन्वयक द्वारा एक ऑनलाइन क्विज का आयोजन किया गया, जिसमें 120 से अधिक छात्रों ने भाग लिया।

यह दोनों कार्यक्रम डी.जी.एच.ई. के निर्देशानुसार आयोजित किए गए।